



अंतराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान

(विश्वविद्यालय समतुल्य)
गोवंडी स्टेशन रोड़, देवनार, मुंबई - 400088

कार्यस्थल पर महिलाओं एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए आईआईपीएस दिशानिर्देश



पोस्टर क्रेडिट: दिवेनी स्नोबॉल, अंगशुमन बैंग, अन्वेया शर्मा (एमए/एमएससी, सेम II, 2023)

पॉश अधिनियम, 2013

"कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" महिलाओं हेतु सुरक्षित कार्य स्थल सुनिश्चित करने और गरिमापूर्ण कार्यानुकूल वातावरण बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है, जो महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करता है।

आईआईपीएस दिशानिर्देश

आईआईपीएस लैंगिक उत्पीड़न और भेदभाव मुक्त परिवेश को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह बिना किसी डर के उत्पीड़न की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने तथा उसकी गोपनीयता और निष्पक्ष निवारण का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह संस्थान यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के प्रति पूर्ण असहिष्णु है। अपने कार्य स्थल पर सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

आईआईपीएस आंतरिक समिति

आईआईपीएस-आंतरिक समिति का गठन 2014 में हुआ था। तब से, आईआईपीएस-आईसी कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने तथा परिसर में एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पॉश अधिनियम 2013 और यूजीसी नियम 2015 का निष्ठापूर्वक पालन करने हेतु प्रतिबद्ध है।

लैंगिक उत्पीड़न क्या है?



शारीरिक स्पर्श और चेष्टएं यौन संबंधों की मांग/ अनुरोध काम रोजीत टिप्पणियाँ करना



कामोत्तेजित सामग्री का प्रदर्शन यौन संबंधित अशोभनीय मौखिक अथवा लिखित अवांछनीय आचरण लैंगिक उत्पीड़न जमित अन्य परिणाम



वांछित व्यवहार

सहज महसूस होना
पारस्परिक
नियंत्रित
इच्छित
समानता
कानूनी
निष्कपट
सहायनीय
प्रसन्नचित
सकारात्मक आत्मसम्मान



अवांछित व्यवहार

असहज महसूस करना
एक तरफा
असमर्थ महसूस करना
अवांछित
असमान
गैरकानूनी
कपट
मिदनीय
क्रोध/उदासी
नकारात्मक आत्मसम्मान

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रूप

विविध प्रो ववो (शाब्दिक रूप से 'इसके लिए यह')

कार्यस्थल पर नियोजन या वरिष्ठ के द्वारा योजना या उससे लाभ प्राप्त करने के बदले में यौन गतिविधि या व्यवहार के लिए स्पष्ट या निहित शर्त रखना और ऐसा न करने पर प्रतिकूल कार्यवाही की धमकी देना।

प्रतिकूल/शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण

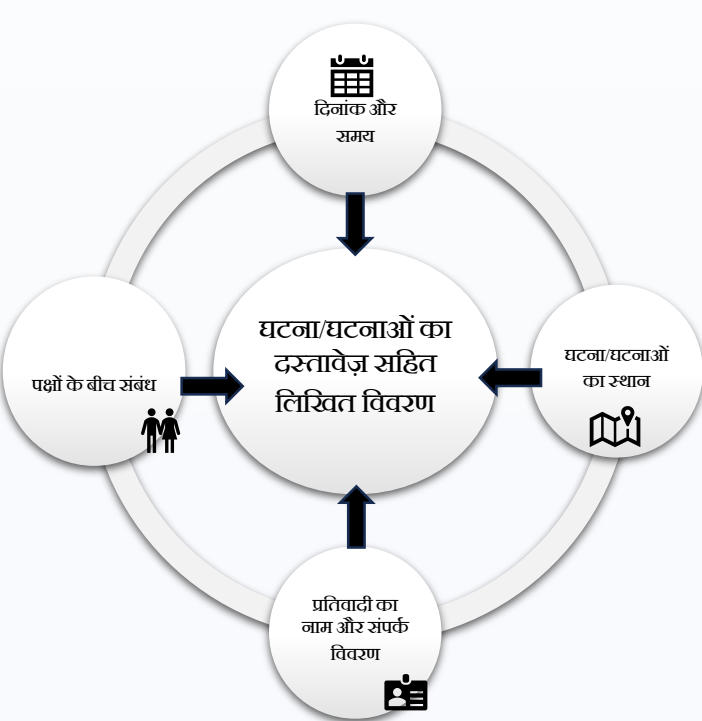
कोई भी व्यवहार जिसमें अंतर्निहित या स्पष्ट यौन आशय हो जो कि

- शत्रुतापूर्ण, डराने वाला या आक्रामक वातावरण बनाता हो।
- अपमानजनक व्यवहार से उसके कार्य प्रदर्शन और स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना हो।

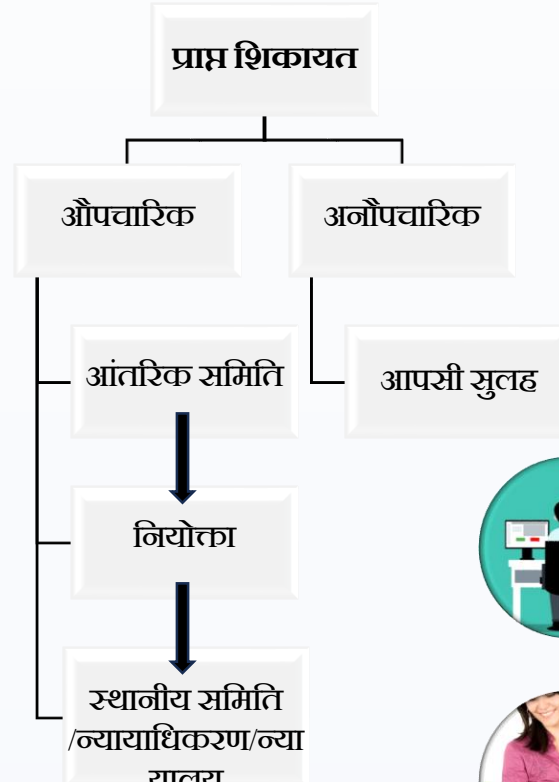
कौन-कौन शिकायत कर सकता है?



शिकायत में उल्लेखनीय तत्व



समाधान प्रक्रिया



कर्मचारी: यह कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आईआईपीएस के सदस्यों में संकाय (स्थायी और अस्थायी), कर्मचारी (स्थायी और अस्थायी), अनुसंधान छात्र (पूर्णकालिक और अंशकालिक), दैनिक वेतनभोगी कार्यकर्ता, और कोई परिसर में अन्य आगंतुक भी शामिल हैं।

छात्र: ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने विधिवत प्रवेश लिया हो और अध्ययन के किसी कार्यक्रम में भाग लिया हुआ हो, जिसमें अल्पकालिक प्रशिक्षण (नियमित या दूरस्थ माध्यम से) शामिल हो या जो प्रवेश लेने की प्रक्रिया में हो या किसी संस्थान की गतिविधि में भागीदार हो, वह संस्थान का छात्र माना जाएगा।

कार्यस्थल/परिसर: "कार्यस्थल" की परिभाषा से अत्यधिक व्यापक है। ऐसे सभी स्थान या भूमि जिस पर आईआईपीएस और उससे संबंधित संस्थानगत सुविधाएं/सुविधाएं स्थित हैं या आईआईपीएस के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हैं जैसे कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्षा, आवास, कैटीन और खेल के क्षेत्र आदि। इसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए परिवहन सहित आधिकारिक कार्य या अध्ययन/क्षेत्र कार्य के दौरान किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान जहां वह अपने अध्ययन की गतिविधि में प्रतिभागिता हेतु या किसी प्रशिक्षण में शामिल होता है। शिकायत जिसके भी विरुद्ध दर्ज की गई है, आईआईपीएस उनका कार्यस्थल है जब तक कि यह तीसरे पक्ष का उत्पीड़न न हो।

यौन उत्पीड़न: लैंगिक उत्पीड़न एक ऐसा अवांछित आचरण है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लैंगिक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। यह लैंगिक भावना से युक्त मौखिक, शारीरिक, सांकेतिक अथवा लिखित रूप में हो सकता है। लैंगिक उत्पीड़न में यौन उत्पीड़न, अवांछित यौन प्रस्ताव, कार्य के बदले यौन अनुग्रह तथा इसे न मानने पर प्रतिकूल परिणाम व उसकी धमकी देना या यौन प्रवृत्ति का अन्य मौखिक एवं शारीरिक उत्पीड़न शामिल हो सकते हैं जो, अपमानजनक, शत्रुतापूर्ण एवं भयपूर्ण वातावरण उत्पन्न करता हो।

दंड

कर्मचारी

वेतावनी
लिखित माफी
अच्छे आचरण का अनुबंध
कोई अन्य प्रासंगिक प्रक्रिया
सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी
सेवा लाभों से वंचित कर दिया जाना
वैधानिक निकायों की सदस्यता,
पुनर्नियुक्ति, या अनुबंध का नवीनीकरण से
इनकार
वेतन वृद्धि/पदोन्नति रोकना
पदावनति
निलंबन
सेवामुक्ति

अन्य पक्ष

(ग्राहक, आगंतुक, विक्रेता)

वेतावनी
लिखित माफी
परिसर में प्रवेश वर्जित

नोट:

- कार्यवाही का कारण लिखित में देना होगा।
- शिकायतकर्ता पर किसी भी तरह से दबाव डालने और समिति पर दबाव/धमकी देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
- शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता सख्ती से बरकरार रखी जाएगी।

आंतरिक समिति के कार्यकारी सदस्य एवं उनके संपर्क विवरण

अध्यक्ष	प्रोफेसर अर्चना के शेंख
संकाय सदस्य	डॉ. रेशमी आर.एस डॉ. सुरेश जुनगरी
गैर-अध्यापनसत कर्मचारी	सुश्री लवीना टावरो डॉ. पी. मुरुगेसन सुश्री शीतल झोरे
छात्र सदस्य	श्री चंदन हांसदा सुश्री कोमल गजभिये सुश्री पूजा दास श्री तुषार डाकुर्या
बाह्य सदस्य	प्रोफेसर विभूति परेत

कार्यालय	022-42372400	ईमेल:	iccommittee@iipsin dia.ac.in
अध्यक्ष	022-42372544 8879247432	वेबसाइट:	https://www.ugc.gov.in/pdf/news/720362_7_UGC_regulations-harassment.pdf
संपर्क विवरण	परामर्शदाता का नंबर 9820565115	आपातकालीन सेवा सहायता नं 112	श्री-बॉक्स लिंक https://shoebox.nuc.i

डिजाइन क्रेडिट: परमिता मजूमदार (पीएचडी छात्र, आईआईपीएस)
हिंदी अनुवाद : निवेदिता मिश्रा (हिंदी अधिकारी, आईआईपीएस)



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR POPULATION SCIENCES

(Deemed-to-be-University)

Govandi Station Road, Deonar, Mumbai – 400088

IIPS Guidelines for Prevention, Prohibition, and Redressal of Sexual Harassment of Women and Students at the Workplace



PoSH Act, 2013

The “Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013” was enacted to ensure safe working spaces for women and to build enabling work environments that respect women’s right to equality of status and opportunity.

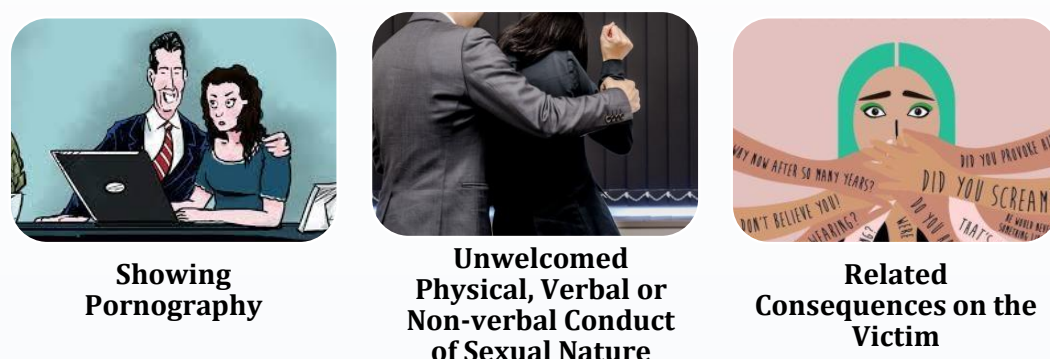
The IIPS Guidelines

IIPS is dedicated to fostering a work environment, free from sexual harassment and discrimination. It ensures the right to report any incidents of harassment without fear of retaliation and redressal with confidentiality and fairness. It has zero tolerance for sexual harassment and discrimination based on sex/gender. It is dedicated to ensuring a workplace where all individuals are treated with dignity and respect.

IIPS Internal Committee

The Internal Committee of IIPS was established in 2014. Since then, the IC-IIPS has been committed to follow the PoSH Act and UGC regulations to prevent sexual harassment against women and to ensure that the campus is a safe work environment.

What is sexual harassment?



Welcome Behaviour	Unwelcome Behaviour
Feels Good	Feels Bad
Reciprocal	One-Sided
In-control	Feels Powerless
Wanted	Unwanted
Equality	Power-based
Legal	Illegal
Open	Invading
Appreciative	Demeaning
Happy	Causes Anger/Sadness
Positive Self-Esteem	Causes Negative Self-Esteem

Forms of Workplace Sexual Harassment

Quid Pro Quo (Literally ‘This for That’)

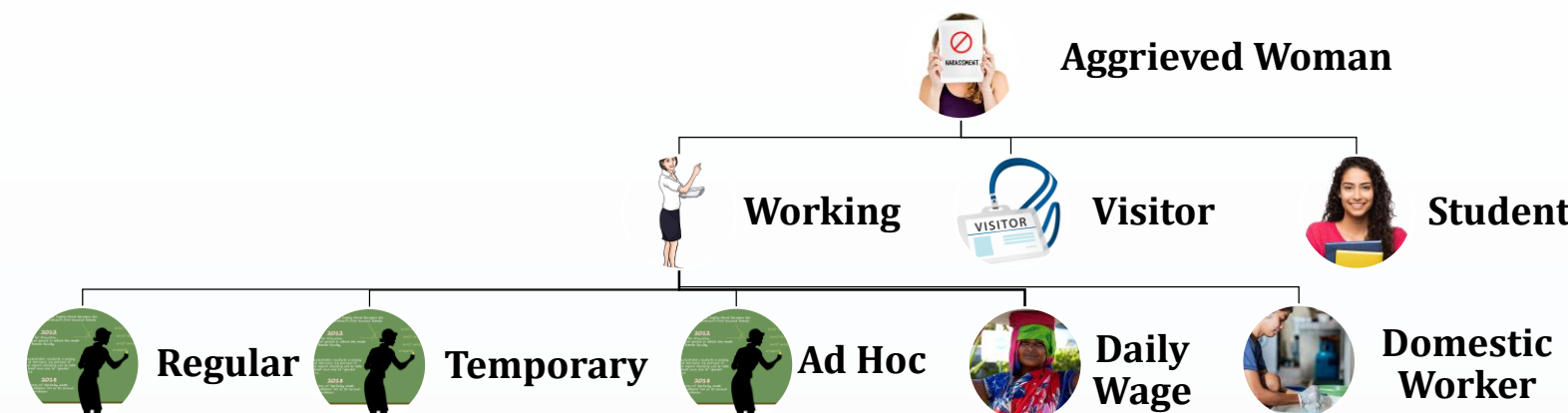
Implying or explicitly stating that sexual favours are a condition for job benefit and threatening adverse action if sexual advances are rejected.

Hostile Work Environment

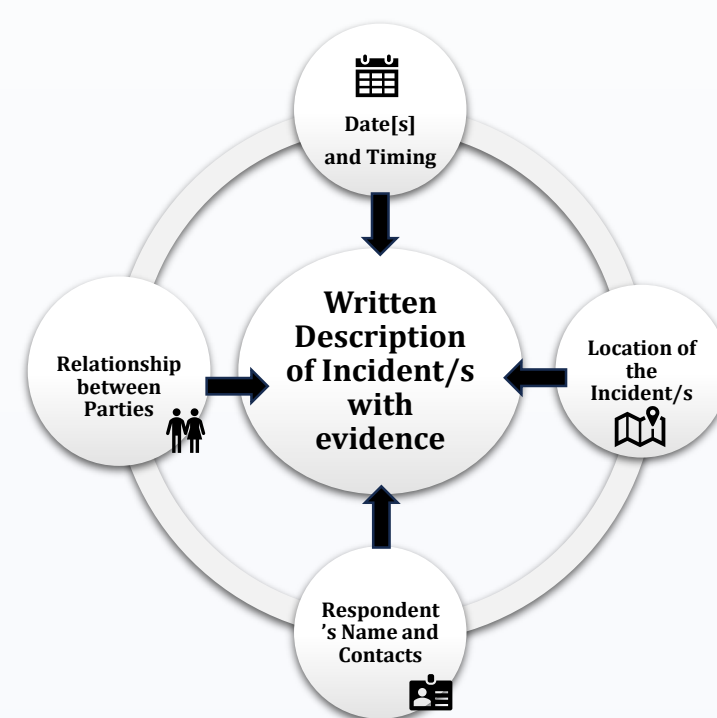
Any behaviour that has an implicit or explicit sexual undertone that

1. Creates a hostile, intimidating, or offensive work environment.
2. Humiliating treatment is likely to affect her work performance and health well-being.

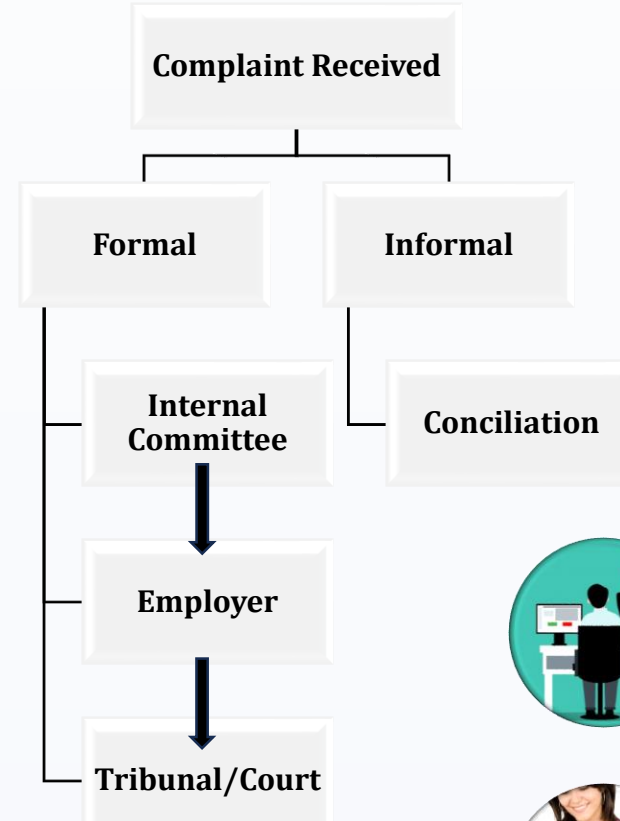
Who all can complain?



Elements of Complain



Redressal Mechanism



Punishments

Students

- Warning
- Written apology
- Bond of good behaviour
- Debarring entry into the hostel/mess/campus
- Suspension for a specific period
- Withholding results
- Debarring from exams
- Stopping of fellowship/contingency
- Expulsion
- Denial of admission

Employee

- Warning
- Written apology
- Bond of good behaviour
- Any other relevant mechanism
- Adverse remarks in the service book
- Debarring from duties
- Denial of membership of statutory bodies, reemployment, or renewal of contract
- Stopping of increments/promotions
- Reverting demotion
- Suspension
- Dismissal

Third-Party (Client, Visitor, Vendor)

- Warning
- Written apology
- Debarring entry into the campus

NOTE:

1. The reasons for the action have to be provided in writing.
2. Action will be taken against person(s) who try to pressurise the complainant in any way and any pressure/threat to the committee.
3. Confidentiality of the complainants will be strictly maintained.

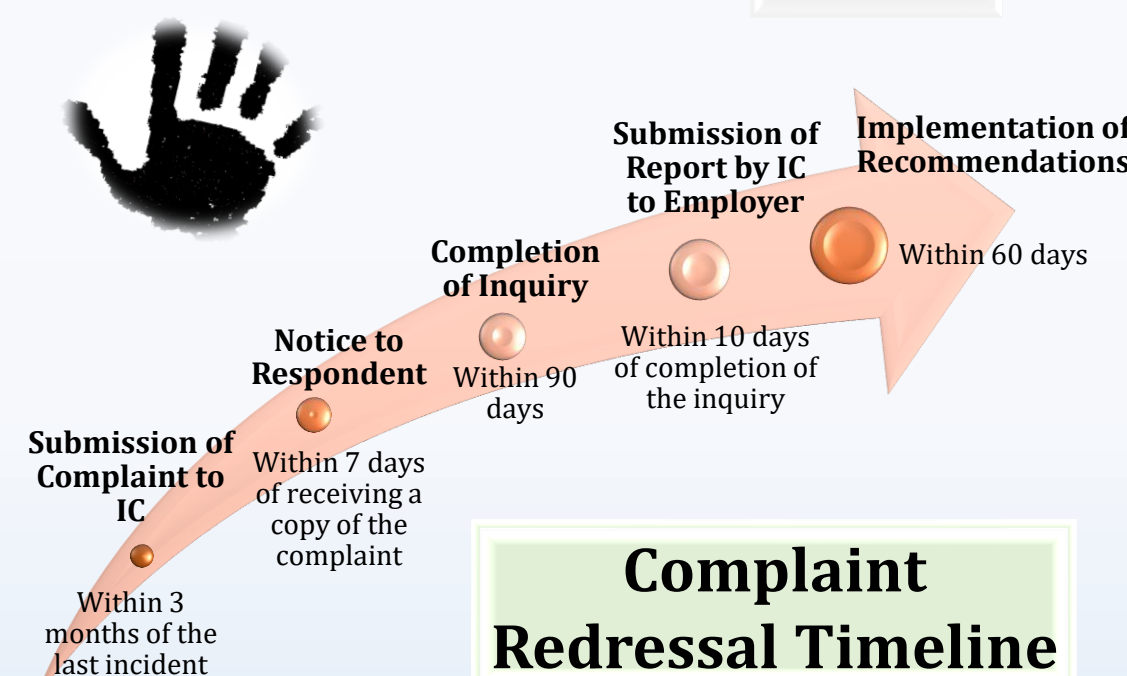
Glossary

Employee: A person as defined in the Act and also members of the IIPS including faculty (permanent and temporary), staff (permanent and temporary), research scholar/student (full-time and part-time), daily wage worker, and any other visitor in the campus.

Student: Anyone duly admitted and pursuing a program of study, including short-term training (through regular or distance mode) or who is in the process of taking admission or a participant to any institute activity.

Workplace/Campus: The definition of “workplace” is quite broad. Location or land on which IIPS and its related institutional facilities/amenities are situated or owned and controlled by the IIPS such as libraries, labs, lecture halls, residences, canteens and playgrounds etc. It also includes any place visited by an employee or student during official work or study/ fieldwork including transportation provided by the Authority. Whoever the complaint is filed against, IIPS is their workplace unless it's third-party harassment.

Sexual harassment: An unwanted conduct with a sexual undertone, if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to include submission by actual or threatened adverse consequences.



Internal Committee Members And Contact Details

Chairperson	Prof. Archana K Roy
Faculty Members	Dr. Reshmi RS Dr. Suresh Jungari
Staff Members	Ms. Lavina Tauro Dr. P. Murugesan Ms. Sheetal Zore
Student Members	Mr. Chandan Hansda Ms. Komal Gajbhiye Ms. Puja Das Mr. Tushar Dakua
External Member	Prof. Vibhuti Patel
Contact Details:	Office: 022-42372400 Chairperson: 022-42372544 8879247432 Counsellor: 9820565115 Emergency Response Support Number: 112 Email: iccommittee@iip.sindia.ac.in Website: https://www.ugc.gov.in/pdf/news/7203627-UGC-regulations-harassment.pdf Shoebox Link: https://shoebox.nuc.in

Design Credits: Paramita Majumdar (PhD Scholar, IIPS)
Hindi Translation: Ms. Nivedita Mishra, Hindi Officer, IIPS